



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2023-01906

— समक्ष —

श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य,

श्रीमती राजश्री मुखर्जी, पति—श्री उर्वेश चन्द्र,
निवासी—सी-3, गुढ़ियारी, कोटा रोड, राम दरबार के समीप,
गोल्डन आर्केड कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

.....

आवेदिका

विरुद्ध

मेसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कान्ट्रेक्टर्स,
प्रोपराईटर—श्री आकाश अग्रवाल,
निवासी—मकान नं.—196, मेट्रो ग्रीन,
ग्राम—सड्ढू, रायपुर (छ.ग.)

.....

अनावेदक

उपस्थिति :-

- (1) श्री शाश्वत सुराना, अधिवक्ता वास्ते आवेदिका।
- (2) श्री सृजन शुक्ला, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक।

(प्रोजेक्ट—“ओवरसीस पाल्म रिसोर्ट”, सड्ढू, रायपुर)
रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर—PCGRERA240218000002

आदेश

(दिनांक—22 / 04 / 2024)

आवेदिका श्रीमती राजश्री मुखर्जी, पति—श्री उर्वेश चन्द्र, निवासी—सी-3, गुढ़ियारी, कोटा रोड, राम दरबार के समीप, गोल्डन आर्केड कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 एतद् पश्चात् अधिनियम छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 एतद् पश्चात् नियम की कंडिका-35 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक प्रमोटर है एवं आवेदिका आबंटिती है। प्रश्नगत प्रोजेक्ट “ओवरसीस पाल्म रिसोर्ट” भू-संपदा प्रोजेक्ट है। बुकिंग के दौरान अनावेदक द्वारा लुभावने सब्जबाग दिखाते हुए विविध सुविधाएँ देने का वचन दिया गया था एवं ब्रोशर दिखाया गया था। जिसके कारण आवेदिका द्वारा प्रोजेक्ट में ब्लॉक-ए में सातवाँ तल में फ़ैमली यूनिट नं.-11, क्षेत्रफल 1014.99 वर्गफीट सुपर निर्मित क्षेत्र को रूपये 29,50,000/-में क्रय किया गया है। आवेदिका द्वारा अनावेदक को संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया गया है।

अनावेदक द्वारा बुकिंग के समय प्लैट का आधिपत्य संपूर्ण सुविधाओं सहित दिनांक 03.12.2020 को आवेदक को सौंप देने का आश्वासन दिया गया था। अनावेदकगण द्वारा बिना किसी न्यायोचित के दिनांक 08.03.2022 को विक्रय-विलेख निष्पादित किया गया है। आवेदक द्वारा बार-बार निवेदन करने के बावजूद आवेदिका के इकाई का भौतिक आधिपत्य सौंपा गया है। विक्रय के समय अनावेदक द्वारा विविध सुविधाएँ जैसे- Infinity Pool, Jogging track, Net Cricket Ground, Skating ring, water body, kids play area , Elders park, Party Lawn, Chit-chat corner, palm reception, plaza for yoga and exercise, view point, Decks with gazebo, Pavilions and leisure seating, Barbeque Area, Badminton/basketball courts, Fountain with water bodies, Focal sculpture, Podium garden, Temple, Tree Planter with seats, Yoga/Exercise decks, Rolling mounds, Terrace gardens, Club House, Amenties inside Club House:-Pool Table: Table Tennis, Carrom, Steam and Jacuzzi, Massage Room, Gymnasium, Card Table, Musical Café(Restorant) Sky Bridge, Secured Gated Community, CCTV in commons areas, Security Cabin, 24 Hours Security Guard, Garbage Chute to each building 8 foot decorative compound wall and gate, Rain water harvesting, Grand Lobby reception area, Branded lift with 100% power backup of combination of granite, marble and tiles in lobby floors, combination of granite, marbles, tiles and acrylic emulsion paint in lobby walls, Fire Detectors and sprinklers at designated area, Terrace Sitouts ,Gazebo, Sculptures, decorations, development of Roads. Sewerage Lines, Drains, Sewerage Treatment Plant, Solid Water Disposal system, Solar Light Plant, Decorative Gypsum wall ceiling ,Inside the Apartment, Vitrified Flooring super paint finish, Anodized Aluminum sliding windows, Granite Platform with stainless steel sink in kitchen Additional Service Platform in kitchen Ceramic tile Dado Above Platform, Designer Bathroom wall tiles and antiskid floor tiles in bathroom, Toughened glass with SS railing in balcony. उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया था। किंतु आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया है। अनावेदक का प्रोजेक्ट दिनांक 17.10.2017 को नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत हुआ था। किंतु पूर्णता तिथि बीत जाने के बाद कार्यों को पूर्ण करने की बात दूर प्रारंभ भी नहीं किया गया है, मूलभूत सुविधाएँ जैसे-पानी निकासी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल आपूर्ति, बाउंड्रीवॉल, प्रवेश द्वार, बिजली, स्ट्रीट लाईट में सौर ऊर्जा कनेक्शन भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

आवेदिका का यह भी कथन है कि प्रोजेक्ट माननीय प्राधिकरण के समक्ष रजिस्टर्ड होने के बावजूद अनावेदक द्वारा किन्हीं परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आवेदिका द्वारा अनावेदक को प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिये बार-बार निवेदन किया गया, परन्तु अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन इकाई का आधिपत्य नहीं सौंपा गया है। अनावेदक द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के आवेदिका का पार्किंग स्थल लगातार परिवर्तन कर रहा है, जिससे आवेदिका को परेशानियों का सामना करना पड़ रही है। अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक प्रोजेक्ट के आधारिक संरचना को पूरी तरह विकसित नहीं किया गया

है और न ही आश्वस्त की गई सुविधाओं को आज दिनांक तक पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा किये गये विकास कार्यों की गुणवत्ता में कमी है, इसलिये रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-11, 12 एवं धारा-14 के अधीन प्रमोटर उत्तरदायी है। अनुबंध की शर्तों अनुसार अपार्टमेंट का आधिपत्य सौंपने में असफल रहता है, तो अनावेदक द्वारा रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-18 एवं 19 अंतर्गत आधिपत्य सौंपने तक मय ब्याज राशि वापसी हेतु अनावेदक बाध्य है। आवेदिका द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष की याचना की गई कि अनावेदक को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट तथा आवेदक के इकाई में त्रुटिपूर्ण समस्त समस्याओं की मरम्मत करें तथा विक्रय शर्तों के अनुसार आधिपत्य पत्र तथा आबंटन पत्र जारी करे। प्रश्नाधीन इकाई के आधिपत्य में विलंब के लिये रेरा अधिनियम, 2016 अनुसार दिसम्बर, 2020 से आधिपत्य दिनांक तक ब्याज का भुगतान करने अनावेदक को निर्देशित करने तथा विज्ञापन तथा ब्रोशर अनुसार सभी सुविधाओं को पूर्ण करे। आधिपत्य प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र, दस्तावेजों, अनुमोदनों, अनुमोदित नक्शों तथा प्रोजेक्ट के अनुज्ञाओं को आवेदक को प्रदान करने हेतु अनावेदक को निर्देशित करने तथा दरारों व रिसाव की सभी कमियों को ठीक करने हेतु अनावेदक को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। अधिनियम की धारा-59, 60 एवं धारा-61 के अधीन अनावेदक के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने तथा मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु रुपये 5,00,000/- दिलाये जाने तथा अन्य राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अनावेदक को आवेदकगण के शिकायत प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं पक्ष प्रस्तुतीकरण का अवसर प्रदान किया गया कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत में दिये गये सभी कथन गलत, मिथ्या एवं अस्वीकार्य है। आवेदक सभी रूपों में अनावेदक को परेशान करने के उद्देश्य से माननीय प्राधिकरण को गुमराह किया गया है। "ओवरसीज पॉम रिसार्ट" नामक प्रोजेक्ट खसरा नं. 91/1-2 रकबा 0.640 हेक्टेयर ग्राम-सड्डू, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) में सनिर्मित किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट के विकास के लिए अनुमति नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, रायपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 26.07.2017 द्वारा प्राप्त की गयी थी और इसके पश्चात् अनावेदक द्वारा दिनांक 17.10.2017 द्वारा विकास अनुज्ञा में परिवर्तन किया गया है। इस तरह अनावेदक द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का परिपालन करने के पश्चात् प्रोजेक्ट "ओवरसीज पॉम रिसार्ट" को विकसित किया गया है। अनावेदक द्वारा उक्त आवासीय परियोजना को वचनबद्धता के अनुरूप सभी सुविधाओं सहित विकसित कर पूर्ण किया गया है और नगरपालिका निगम, रायपुर (छ.ग.) द्वारा सभी आवश्यक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आवासीय परियोजना के लिए अनावेदक को प्रदान किया गया है। नगरपालिका निगम, रायपुर (छ.ग.) द्वारा बन्धक भूखण्डों को मुक्त कर दिया गया है, जो आवासीय परियोजना के लिए विकास अनुज्ञा प्राप्त

करने के समय विकास करने की प्रतिभूति के रूप में सांविधिक निकाय के पास बन्धक रखा गया था, उसे दिनांक 06.05.2022 द्वारा मुक्त किया गया। आवेदिका द्वारा प्रोजेक्ट के ब्लॉक-ए में सांतवी मंजिल में इकाई नं.-10 का पूर्ण संतुष्टि तथा उक्त फ्लैट का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात् क्रय किया गया है। इसके विपरीत पूर्व में आवेदिका द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है और आवेदिका वर्तमान में रेरा अधिनियम, 2016 के उपबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने करने के लिये शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदिका द्वारा अनावेदक को रखरखाव शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया है और प्रोजेक्ट के सामान्य क्षेत्रों के विधिवत् रखरखाव हेतु रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-11(4)(घ) प्रमोटर को समर्थ बनाती है कि प्रोजेक्ट के आबंटितियों के संघ को दिये जाने तक रखरखाव शुल्क संग्रहित कर सकता है। अनावेदक द्वारा उक्त आवासीय परियोजना को रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-17 अनुसार आबंटितियों के संघ को दिये जाने में कभी कोई आपत्ति नहीं किया गया है। आवेदिका द्वारा दिनांक 08.03.2022 को पंजीकृत विक्रय-विलेख निष्पादित किया गया है। आवेदिका प्रोजेक्ट के अन्य आबंटितियों के साथ मिलकर अतार्किक मांगों को उठा रहा है तथा अनुचित लाभों को प्राप्त करने के लिये अनावेदक पर आधारहीन तथा अवास्तविक मांगों को भी रख रहा है, इसलिये अनावेदक, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत परिवाद लागत सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

2. प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 07.08.2023 को आदेश पारित किया गया कि अनावेदक द्वारा धारा-14 का भी उल्लंघन किया गया है। प्राधिकरण द्वारा यह भी आदेश पारित किया गया कि आवेदिका के रहवास इकाई में संरचनात्मक त्रुटि के कारण अगर क्रेक की समस्या हो तो अनावेदक द्वारा दो माह के भीतर ठीक किया जाए।
3. प्राधिकरण के उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण, रायपुर के समक्ष अपील क्रमांक- 202/2023 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 04.12.2023 को आदेश पारित करते हुए प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 को निरस्त किया गया व प्रकरण विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार गुण-दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया।

Looking to the above-mentioned facts and circumstances of the case this tribunal finds that in the case in hand the retrial is considered as necessary, hence the impugned order passed by the RERA is set aside and matter is remanded back to the RERA with this direction that he should decide the complaint in toto afresh after giving the opportunity of hearing to both parties, framing the relevant point for determination as earliest within outer limit of 2 monthes from date of receipt of this order.

4. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जवाबदावा, दस्तावेज के अवलोकन तथा प्रस्तुत तर्क का परिशीलन किये जाने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार विनिश्चय के बिंदु निर्धारित किये जाते हैं:-
1. क्या प्राधिकरण को प्रकरण में विचारण करने का क्षेत्राधिकार है?
 2. क्या आवेदिका आवेदन समय-सीमा के भीतर है?
 3. क्या आवेदिका अनुबंध की शर्तों के अधीन किसी प्रकार से ब्याज राशि प्राप्त करने की पात्रता रखती है?
 4. क्या आवेदिका को वांछित अथवा किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, यदि हाँ तो अनुतोष की मात्रा एवं उसका स्वरूप किस प्रकार होगा।
 5. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-01 के विनिश्चयन का आधार:-** आवेदिका भू-संपदा प्रोजेक्ट जो कि प्राधिकरण में रजिस्टर्ड है, ओव्हर सीस पॉम रिसोर्ट रजिस्ट्रेशन PCGRERA24021800002 में भू-संपदा फैमिली यूनिट टाईप-11 सातवाँ फ्लोर ब्लॉक-ए की आबंटिती है, अनावेदक भू-संपदा प्रोजेक्ट का संप्रवर्तक है, दोनों में संप्रवर्तक एवं आबंटिती का अंतर संबंध है, उभय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति है, जिसके कारण धारा-31 के अधीन आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया है, यह प्रकरण माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक-202/2023 में दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश अनुसार प्रत्यावर्तित किया गया है, तथा उभय पक्ष को सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है, अतः प्रकरण प्राधिकरण के विचारण क्षेत्राधिकार में है।
 6. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-02 के विनिश्चयन का आधार:-** आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरुद्ध आवेदिका द्वारा यह आवेदन भू-संपदा प्रोजेक्ट में कतिपय विकास कार्य एवं सुविधाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदन अप्रैल, 2023 में किया गया है। अनावेदक का कथन है, कि भू-संपदा प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से विकसित किया गया है एवं सभी सुविधाओं को पूर्ण कर लिया गया है, जिसके पश्चात् कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र नगर पालिक निगम द्वारा प्रदान किया गया है एवं बंधक भूखंडों को दिनांक 06.05.2022 को मुक्त किया गया है, आवेदिका द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात् सातवीं मंजिल में ईकाई नंबर-07 पंजीकृत लेख दिनांक 08.03.2022 द्वारा क्रय किया गया। कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना है, कि यदि प्राधिकरण के संज्ञान में यह बात लाई जाए कि ब्रोशर में किए गए वचन की पूर्ति नहीं की गई है एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र नियम के अनुरूप नहीं है, उस स्थिति में कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी शिकायत पर विचारण किया जा सकता है। आवेदन अप्रैल 2023 में प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रस्तुत आवेदन भारतीय परिसीमा अधिनियम-1963 के समय-सीमा के भीतर है।

7. विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-03 के विनिश्चयन का आधार:- “आवेदिका द्वारा यह भी कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा दिनांक 03.12.2020 को अथवा उसके पूर्व आधिपत्य उपलब्ध करवा देना था, जो कि अनुबंध की कंडिका क्रमांक-7.1 में भी है। किंतु अनावेदक दिनांक 08.03.2022 को विक्रय विलेख निष्पादन उपरांत आधिपत्य उपलब्ध कराया गया, अधिभोग पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः विलंब अवधि के लिये अनावेदक को ब्याज भुगतान का निदेश दिया जाए।”

प्रकरण में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दिनांक 06.10.2020 को विक्रय अनुबंध को पंजीकृत करवाया गया तथा दिनांक 16.03.2022 को विक्रय विलेख का पंजीयन करवाया गया। विक्रय विलेख की कंडिका 04 (2) में उल्लेखित है, “ IT IS AGREED BETWEEN the SELLER and purchaser that the Property hereby isconveyed is subject to liability of vendee and his/her/their/its heirs, executors, administrations, successors-in-interest and assigns fulfilling and discharging the following obligations namely, that the purchaser shall.

2. Has/Have satisfied himself/herself/themselves of the titles of the property of the SELLER and the purchaser shall not hereafter raise any questions, claims or demands in respect of any material such as electrical fittings, sanitary fittings, tiles, doors etc. or claim any compensation or damages on account thereof.”

विक्रय विलेख के अंतिम पैरा में यह उल्लेखित है, कि “All the due rates, taxes, property taxes and outgoing cost, chares and other expenses related to property therein have been fully paid in future by the purchaser. ” अनुबंध दिनांक 29.09.2020 के पश्चात् विक्रय विलेख का निष्पादन दिनांक 08.03.2022 को किया गया है, जिसमें संपूर्ण देय राशि प्राप्त होना/देना आवेदक एवं अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया है, अतः आवेदक विबंध के सिद्धांत से आबद्ध है, और विलंब के लिये ब्याज राशि की माँग करना उचित प्रतीत नहीं होता है, विक्रय विलेख निष्पादन के समय राशि भुगतान के दौरान विलंब का प्रश्न नहीं उठाया गया, अतः प्रस्तुत प्रकरण में कथित विलंब हेतु ब्याज राशि की माँग करना, उचित नहीं है। प्राधिकरण इस संबंध में याचित अनुतोष प्रदान करना उचित नहीं समझता है। चूँकि अनुबंध आवेदिका एवं अनावेदिका के मध्य दिनांक 06.10.2020 को हुआ एवं विक्रय विलेख का निष्पादन दिनांक 16.03.2022 को हुआ। अतः विक्रय विलेख की कंडिका 04 (2) जो कि आवेदिका द्वारा स्वीकार किया गया के अधीन निर्माण कार्य नहीं करने के संबंध में आवेदिका की शिकायत उचित एवं विचारण योग्य प्रतीत नहीं होती है, किंतु अधिनियम की धारा-14(3) के अधीन संरचनात्मक त्रुटि, कौशल क्वालिटी के संबंध में अनावेदक का दायित्व निश्चित रूप से ठहरता है,

8. विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-04 के विनिश्चयन का आधार:- प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-001843, M-PRO-2022-001844, M-PRO-2022-001847 में प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भू-संपदा परियोजना का कमिश्नर रिपोर्ट लिया गया। जिसमें कमिश्नर द्वारा प्रतिवेदन दिया गया, कि जांगिग ट्रैक, वॉटर बॉडी, ग्राउंड फ्लोर, वरिष्ठ जनों के लिये बैठने के लिये गार्डन, चिट-चैट कार्नर, वाटर बॉडी की अनुपब्धता, स्टीम बॉथ और Jacuzzi, डैक्स एंड गजेबो, योगा एंड एक्सर साईज डैक्स, कम्पाउंड वॉल एवं छत में सीपेज होने की कमी पाई गई।

आवेदिका के आवास में क्रेक एवं सीपेज की समस्या है। जिसको दूर करने हेतु संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-14 के अधीन बाध्यता रखता है। चूंकि आवेदिका को आधिपत्य 2022 में प्राप्त हुआ एवं आवेदिका द्वारा शिकायत 2023 में की गई। इसलिये संप्रवर्तक किसी भी संरचनात्मक त्रुटि को दूर करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के आबद्ध है। इसलिये आवेदिका द्वारा याचित अनुतोष आंशिक रूप से त्रुटि योग्य है।

9. समग्र विश्लेषण पश्चात् प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-

1. अनावेदक, आवेदिका के रहवास 7वें फ्लोर इकाई क्रमांक-11 में क्रेक एवं सीपेज की समस्या को दो माहे के भीतर ठीक करें।
2. अनावेदक, दो माह के भीतर जांगिग ट्रैक हेतु अनावेदक उनके निर्माणीधीन सी-ब्लॉक में आवेदक अन्य रहवासियों को जांगिग ट्रैक बनाते हुए उपयोग हेतु उपलब्ध कराये, सी-ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर में स्केटिंग रिंग का निर्माण करेगें, Elder Park के असमतल भूमि को समतल करायेगें एवं वरिष्ठजनों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करेगें, 06 सीटर कुर्सियों की दो से अधिक स्थानों पर व्यवस्था करेगें, चिट-चैट कार्नर हेतु 06 सीटर टेबल कुर्सियों को दो से अधिक स्थानों पर व्यवस्था करें, स्टीम बॉथ और Jacuzzi के लिये निर्माणाधीन सी-ब्लॉक में अनावेदक, आवेदक एवं अन्य रहवासी के लिये यह सुविधा उपलब्ध करायेगें, बांउड्रीवाल में सौदर्यीकरण का कार्य करवाये, छत पर सौदर्यीकरण एवं कतिपय शिल्पकला का कार्य कराए, आबंटितियों के आधार पर पार्किंग स्थल का आबंटन अनावेदक करें। विद्युत प्रवाह से संबंधित खुले वायर को ढका जाए और दोष युक्त कनेक्शन को ठीक किया जाए, इस संबंध में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से अनावेदक द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए, उपर्युक्त समस्त कार्य दो माह के भीतर संपन्न कराया जाए।

सही / -
(धनंजय देवांगन)
सदस्य

सही / -
(संजय शुक्ला)
अध्यक्ष